

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	----------------------------------	---

11.02.25

पत्रावली पेश हुई
वादी के वकील उपस्थित ।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।
लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया ग्राम महिलावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2370/1180 व 2403/2368 रकबा 0.8342 व 2.9242 हैक्टेयर भूमि भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	रामाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. सिवाना खातेदार	2370/1880 2403/2368	0.8382 0.4159	हरा
	योग	2	1.2541	हरा
2	कन्हैयालाल पुत्र रामाजी हिस्सा पूर्ण जाति सरगरा सा. मवड़ी खातेदार	2403/2368	0.6271	आसमानी
	योग	1	0.6271	आसमानी
3	कमेलश कुमार पुत्र भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा. देह खातेदार,जितेन्द्र कुमार पुत्र भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा. देह खातेदार,दिवाली पत्नी भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा.देह खातेदार	2403/2368	0.6271	लाल
	योग	1	0.6271	लाल
4	गीगी बहन पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/3, अम्बिका पुत्री बाबू हिस्सा 1/4 जाति सरगरा सा.देह खातेदार, दिलीप पुत्र बाबु हिस्सा 5/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार	2403/2368	1.2541	भूरा
	योग	1	1.2541	भूरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।




सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :-

रामाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला
बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. अम्बिका पुत्री बाबु जाति सरगरा
2. कन्हैयालाल पुत्र रामाजी जाति सरगरा निवासी मवड़ी
3. कमलेश कुमार पुत्र भलाराम जाति सरगरा
4. गीगी बहन पुत्री गोविन्दा जाति सरगरा
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र भलाराम जाति सरगरा
6. दिलीप कुमार पुत्र बाबू जाति सरगरा
7. दिवाली पत्नी भलाराम जाति सरगरा
8. मांगीया पुत्र गोविन्दा जाति सरगरा
9. रमेश कुमार पुत्र गोविन्दा जाति सरगरा
निवासीगण महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :- 11.02.2025

मुकदमा नंबर :-93/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता पेश
होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम महिलावास
तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2370/1180 व 2403/2368 रकबा 0.8342 व 2.9242 हैक्टेयर भूमि
का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	रामाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. सिवाना खातेदार	2370/1880 2403/2368	0.8382 0.4159	हरा
	योग	2	1.2541	हरा
2	कन्हैयालाल पुत्र रामाजी हिस्सा पूर्ण जाति सरगरा सा. मवड़ी खातेदार	2403/2368	0.6271	आसमानी
	योग	1	0.6271	आसमानी
	कमलेश कुमार पुत्र भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा. देह खातेदार,जितेन्द्र कुमार पुत्र भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा. देह खातेदार,दिवाली पत्नी भलाराम हिस्सा 1/3 जाति सरगरा सा.देह खातेदार	2403/2368	0.6271	लाल
	योग	1	0.6271	लाल
4	गीगी बहन पुत्री गोविन्दा हिस्सा 1/3, अम्बिका पुत्री बाबू हिस्सा 1/4 जाति सरगरा सा.देह खातेदार, दिलीप पुत्र बाबु हिस्सा 5/12 जाति सरगरा सा.देह खातेदार	2403/2368	1.2541	भूरा
	योग	1	1.2541	भूरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में
दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न
अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बैंक रहन इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना.

